43

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

योजना मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

योजना मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

..22....मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
..22....मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना.....		(iii)
प्राक्कथन.....		(v)
अध्याय- एक	प्रस्तावना	1
अध्याय- दो	अनुदानों की मांगों (2022-23) का विश्लेषण	2
अध्याय- तीन	विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय...	6
अध्याय- चार	अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) तथा स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू).....	9
अध्याय –पांच	आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी).....	13

भाग-दो
समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें 16

अनुबंध
समिति की 24 फरवरी, 2022* तथा 14 मार्च, 2022 को हुई बैठकों का कार्यवाही सारांश 34

* संलग्न नहीं है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
7. श्रीमती सुनीता दुग्गल
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री सुधीर गुप्ता
10. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
11. श्री पिनाकी मिश्रा
12. श्री रविशंकर प्रसाद
13. प्रो. सौगत राय
14. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
15. श्री गोपाल शेट्टी
16. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री बालासुरी वल्लभनेनी
20. श्री राजेश वर्मा
21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्री अहमद अशफाक करीम
23. श्री सुशील कुमार मोदी
24. श्री ए. नवनीतकृष्णन
25. श्री प्रफुल्ल पटेल
26. डॉ. अमर पटनायक
27. श्री महेश पोद्दार
28. श्री सी. एम. रमेश
29. श्री जी.एल.वी. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - उप सचिव
5. सुश्री मधुमिता - सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांगें (2022-23) विषयक, समिति के तैंतालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) दिनांक 09 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने दिनांक 24 फरवरी, 2022 को योजना मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति योजना मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 14 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियोंसिफारिशों/ को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति

भाग एक
अध्याय-एक
प्रस्तावना

1.1 नीति आयोग के नाम से भी जाने वाली राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन 1 जनवरी, 2015 को कंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम डिजाइन करने के अलावा नीति आयोग केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रासंगिकि तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए राज्यों को राष्ट्रहित में एक साथ कार्य करने के लिए सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है और इस तरह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

1.2 यह संस्था ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने और सरकार के उच्च स्तर पर उत्तरोत्तर इन्हें समग्र करने के लिए तंत्र विकसित करती है यह हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देता है जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ नहीं होने का खतरा हो सकता है। जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से दिया जाता है, उन पर एनआईटीआई यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया जाए।

1.3 संस्था रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहलों को डिजाइन करती है और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की नियमित रूप से निगरानी करती है। यह आवश्यक मध्य पाठ्यक्रम सुधार सहित अभिनव सुधार करने के लिए निगरानी और प्रतिक्रिया से सीखे गए सबक का उपयोग करता है साथ ही, नीति आयोग आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करता है ताकि बाद की सफलता की संभावनाओं को दृढ़ किया जा सके।

1.4 यह संस्था प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति-अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को सलाह और प्रोत्साहित करती है। यह राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाती है।

1.5 देश के एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में, नीति आयोग एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सुशासन पर अनुसंधान का भंडार तथा सतत् और न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ-साथ उनके प्रसार में मदद करने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।

1.6 इसे दो संबद्ध कार्यालयों-अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)- और एक स्वायत्त निकाय अर्थात् राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्लड) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को चार मुख्य शीर्षों में विभाजित किया जा सकता हैः

1. नीति और कार्यक्रम ढांचा
2. सहकारी संघवाद
3. अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन
4. थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचार केन्द्र

अध्याय दो
अनुदान की मांगों का विश्लेषण (वर्ष 2022-23)

2.1 योजना मंत्रालय ने 09 फरवरी, 2022 को लोक सभा में अनुदान की विस्तृत मांग (2022-23 मांग संख्या 77) प्रस्तुत की। वर्ष 2022-23 के लिए योजना मंत्रालय का कुल आवंटन 321.42 करोड़ रूपये है। राजस्व अनुभाग और पूंजी अनुभाग के संबंध में क्रमशः 310.67 करोड़ रूपये और 10.75 करोड़ रूपये की मांगें हैं। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) क्रमशः 1062.77 करोड़ और 1078.78 करोड़ रूपये थे। वर्ष 2020-21 का वास्तविक 748.68 करोड़ रूपये था। 2022-23 के लिए बीई (321.42 करोड़ रूपये) में 741.35 करोड़ रूपये की कमी दर्ज की गई है, जो 2021-22 (1062.77 करोड़ रूपये) के बीई से 69.76% कम है। 2022-23 के लिए बीई (321.42 करोड़ रूपये) में 427.26 करोड़ रूपये की कमी दर्ज की गई है, जो 2020-21 के वास्तविक व्यय (748.68 करोड़ रूपये) से 57.07% कम है। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व अनुभाग (310.67 करोड़ रूपये) में कमी वर्ष 2021-22 की तुलना में 751.32 करोड़ रूपये (70.75%) है, जहां 1061.99 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई थी जिसे बाद में आरई चरण में संशोधित कर 1070.01 करोड़ रूपये कर दिया गया। तथापि, पूंजी भाग में बीई (2021-22) में 0.78 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जो बाद में आरई चरण में घटकर 0.77 करोड़ रुपये हो गया। पूंजी भाग में बीई (2022-23) में 10.75 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बीई (2021-22) की तुलना में, बीई (2022-23) में पूंजी शीर्ष ने बजटीय आवंटन में 9.97 करोड़ रुपये (1278.21%) की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है।

2.2 स्थापना व्यय के लिए परिव्यय बीई (2022-23) में 149.49 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 98.10 करोड़ रुपये के बीई (2021-22) से 51.39 करोड़ रुपये (52.39%) की वृद्धि है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के मामले में, बीई (2022-23) के 17.00 करोड़ रुपये के पिछले आवंटन के मुकाबले बीई (2021-22) का 16.00 करोड़ रुपये का आवंटन मांगा गया है, जो बीई (2021-22) की तुलना में बीई (2022-23) में केवल 1 करोड़ रुपये (6.25%) की वृद्धि है। इसी प्रकार, व्यय की गति के अनुसार, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) की आवश्यकता के लिए बीई (2022-23) की 9.86 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जो बीई (2021-22) में 9.67 करोड़ रुपये के पहले के आवंटन की तुलना में 0.19 करोड़ रुपये (1.96%) की वृद्धि है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मामले में, बीई (2021-22) की तुलना में बीई (2022-23) में आवंटन 3.00 करोड़ रुपये पर समान है। परिषद की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीई (2022-23) में 3.00 करोड़ रुपए के आवंटन की मांग की गई है।

2.3 केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बीई (2022-23) में 162.07 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है जोकि जो बीई (2021-22) की तुलना में 792.93 करोड़ रुपये (83.03%) की कमी है, जहां 955 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के संबंध में, बीई (2021-22) के दौरान 342 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में बीई (2022-23) में केवल 155.31 करोड़ रुपये की राशि मांगी जा रही है। यह बीई (2021-22) की तुलना में बीई (2022-23) में 186.69 करोड़ रुपये (54.59%) की कमी है। जैसा कि नीति आयोग द्वारा सूचित किया गया है, एआईएम एटीएल के तहत अपने मौजूदा लाभार्थियों के समेकन पर ध्यान केंद्रित करेगा और बजट अनुमानों के बड़े हिस्से की खपत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए एटीएल की स्थापना के मौजूदा अधिदेश के अनुसार, नए एटीएल की स्थापना की कोई योजना नहीं है। इस प्रकार, एआईएम द्वारा अन्य कार्यक्रमों - एआईसी/एसीआईसी और एएनआईसी के तहत एटीएल सहित मौजूदा लाभार्थियों के लिए निरंतर समर्थन के साथ कुछ नए लाभार्थियों को स्थापित करने के लिए कम बजट अनुमान 2022-23 प्रस्तुत किया जाएगा।

2.4 115 आकांक्षी जिलों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता के साथ 500 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है। लेकिन, ईएफसी जमा न करने के कारण बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमान 2022-23 के लिए 0.01 करोड़ रुपये का एक सांकेतिक बजट प्रावधान आवंटित किया गया है, जो बीई (2021-22) की तुलना में 580.99 करोड़ रुपये (100%) की कमी है। अकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी, 2018 में आरम्भ किया गया था। ईएपी-एसडीजी (सतत विकास लक्ष्यों के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) को जनवरी, 2019 में ईएफसी द्वारा ₹974 करोड़ (सरकारी

विकास सहायता के तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से ऋण) की राशि के साथ 20 महीनों के लिए अनुमोदित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जेआईसीए द्वारा लगभग ₹485 करोड़ (7.5 बिलियन येन) जारी करने के बावजूद, मार्च, 2019 में केवल ₹126 करोड़ आबंटित किए गए थे। ₹126 करोड़ की पूरी राशि वित्त वर्ष 2019-20 में व्यय की गई थी। इसके बाद, वित्त वर्ष 2020-21 में, ₹480 करोड़ (जेआईसीए ने फरवरी 2020 में 3.75 बिलियन येन अर्थात् लगभग ₹245 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की थी, और फरवरी 2021 में 3.75 बिलियन येन अर्थात् ₹22 करोड़ की तीसरी किश्त जारी की थी) की अनुमानित मांग के सापेक्ष ₹267 करोड़ आबंटित किए गए थे। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹267 करोड़ की पूरी राशि खर्च की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में, इस कार्यक्रम के लिए बजट में शेष 581 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। 02 फरवरी, 2022 तक, व्यय ₹207.97 करोड़ (लगभग) है और ₹87.9 करोड़ (लगभग) की राशि संस्वीकृत की जा चुकी है और संवितरण प्रक्रियाधीन में है।
मांग संख्या 77- योजना मंत्रालय के तहत पिछले तीन वर्षों (2019-22) के लिए अनुदान मांगों के विश्लेषण के संबंध में विवरण **अनुलग्नक-I** में देखा जा सकता है।

2.5 (क) वर्ष 2020-21 में किए गए वास्तविक व्यय, बजट अनुमान (बीई) / संशोधित अनुमान (आरई) 2021-22, बजट अनुमान 2022-23 नीचे दिया गया है-

(करोड़ रुपये में)

वास्तविक व्यय, 2020-21	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-23
कुल 748.68	कुल 1062.77	कुल 1070.78	कुल 321.42

(ख) बजट अनुमान (बीई) 2022-23, राजस्व भाग वर्ष 2022-23 और पूंजी भाग वर्ष 2022-23 नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

बजट अनुमान 2022-23	राजस्व भाग वर्ष 2022-23	पूंजी भाग वर्ष 2022-23
कुल 321.42	कुल 310.67	कुल 10.75

2.6 जब बीई (2022-23) में 69.76% की कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया, जहां बीई (2021-22) में आवंटित 1062.77 करोड़ रुपये की तुलना में 321.42 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की गई है, तो योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार उल्लेख किया:

"बजट अनुमान (ब.अ-2021-22) की तुलना में ब.अ (2022-23) में 69.76% की कमी का कारण नीति आयोग में ब.अ 2022-23 के लिए संबंधित प्रभागों द्वारा किया गया कम अनुमान है। अटल नवाचार मिशन ने 342 करोड़ रु. के बजट अनुमान 2021-22 के मुकाबले 155.31 करोड़ रु. का अनुमान लगाया है और सतत विकास लक्ष्यों के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की आधिकारिक विकास सहायता ने 581 करोड़ रु. के बजट अनुमान 2021-22 के मुकाबले 0.01 करोड़ रु. के सांकेतिक प्रावधान का अनुमान लगाया है।"

2.7 बीई (2022-23) के राजस्व शीर्ष में 70.75% की कमी का औचित्य पूछे जाने पर, जहां बीई (2021-22) के राजस्व शीर्ष में आवंटित 1061.99 करोड़ रुपये की तुलना में 310.67 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की गई है, योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में उल्लेख किया:

"बजट अनुमान ब.अ (2021-22) की तुलना में ब.अ (2022-23) में राजस्व शीर्ष में ब.अ (2022-23) में 70.75% की कमी नीति आयोग में ब.अ 2022-23 के लिए संबंधित प्रभागों द्वारा किए गए कम अनुमानों के कारण है। अटल नवाचार मिशन ने 342 करोड़ रु. के बजट अनुमान 2021-22 के मुकाबले 145.31

करोड़ रु. का अनुमान लगाया है और सतत विकास लक्ष्यों के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की आधिकारिक विकास सहायता ने 581 करोड़ रु. के बजट अनुमान 2021-22 के मुकाबले 0.01 करोड़ रु. के सांकेतिक प्रावधान का अनुमान लगाया है।"

2.8 इसी प्रकार, जब बीई (2022-23) के पूंजी शीर्ष में 1278.21% की भारी वृद्धि के लिए कारण प्रदान करने को कहा गया, जहां बीई (2021-22) के पूंजी शीर्ष में आवंटित 0.78 करोड़ रुपये की तुलना में 10.75 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की गई है, तो योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर उल्लेख किया:

"ब.अ (2021-22) की तुलना में ब.अ (2022-23) में पूंजी शीर्ष में 1278.21% की वृद्धि का कारण निवेश शीर्ष के तहत अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी)/छोटे उद्यमों की चुनौतियों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार (एआरआईएसई) को आवंटित 10 करोड़ रु. के बजट के कारण है जिससे कि इक्विटी के परिवर्तनीय नोटों के रूप में एएनआईसी/एआरआईएसई स्टार्टअप्स में इक्विटी हिस्सेदारी प्रदान की जा सके।"

2.9 वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तावित कार्यकलाप

वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमानित व्यय की दृष्टि से की जाने वाली विभिन्न प्रस्तावित गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

क. स्थापना संबंधी व्यय:

(i) योजना विभाग:
इसके तहत वेतन और भत्तों तथा यात्रा और अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित अन्य व्यय के साथ-साथ योजना राज्य मंत्री का कार्यालय के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

(ii) नीति आयोग:
इसके तहत वेतन और भत्तों तथा यात्रा और अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित अन्य व्यय के साथ-साथ उपाध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति आयोग के अन्य पदाधिकारियों के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित व्यय और नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों/ प्रभागों में किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों संबंधी व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

(iii) **प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद:**
इसके तहत वेतन और भत्तों तथा यात्रा और अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित अन्य व्यय के साथ-साथ अध्यक्ष और परिषद के अन्य अधिकारियों के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

(iv) **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ):**
डीएमईओ भारत सरकार के सर्वोच्च निगरानी और मूल्यांकन (एमएंडई) कार्यालय और नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय होने के तौर पर, वर्ष 2022-23 के दौरान सहयोगी एवं प्रतियोगी संघवाद के बड़े उद्देश्य की तर्ज पर केंद्र और राज्यों दोनों में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ बनाने के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन में अपनी अधिदेशित और उभरती गतिविधियों कोजारी रखेगा।

वार्षिक योजना गतिविधियों को महानिदेशक, डीएमईओ के नेतृत्व में पार्श्व और सरकारी कर्मचारियों की टीम द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, डीएमईओ अपने अधिदेश को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए बाहरी एजेंसियों की परामर्श और सर्वेक्षण सेवाएं लेगा। डीएमईओ का बजटीय व्यय, डैशबोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य के रखरखाव के लिए आवश्यक कार्यालय व्यय के अलावा अपने निगरानी और मूल्यांकन अधिदेश को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार से नियुक्त कर्मियों के वेतन और प्रोफेशनल शुल्कके मद में भी खर्च होता है।

(v) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी):
एनआईएलईआरडीनीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान हैजो सहायता अनुदान वेतन, सामान्य अनुदान औरपूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में बजटीय अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।

ख. योजना से संबंधित व्यय:

नीति आयोगतीन योजनाओं को चलाता है जिन्हें 14 वें वित्त आयोग (एफसी) कीअवधि से 15 वेंएफसी कीअवधि में आगे बढ़ाया जा रहा है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से उनकी योजना से संबंधित व्यय को पूरा किया जाता है, विवरण निम्नलिखित हैं:

(i) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम):
अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रमुख पहल है और इसे 2016 में स्थापित किया गया था। इस संबंध में एआईएम ने स्कूलों में समस्या सुलझाने के लिए अभिनव मानसिकता को सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी एवं एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमिता इकोसिस्टम का सृजन करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। एआईएम की सभी पहलों का वर्तमान में निगरानी और प्रबंधन एक मिशन उच्च स्तरीय समिति (एमएचएलसी) कर रही है जिसमें उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिव, शिक्षा और उद्योग क्षेत्र से नवाचार और इकोसिस्टम विशेषज्ञ शामिल हैं।

(ii) **जारी कार्यक्रम और योजनाएँ:**
इसके तहत अनुसंधान और अध्ययनसे संबंधित व्यय को पूरा किया जा रहा है।अनुसंधान और अध्ययनएक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और इस योजना में वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय परिव्यय 6.00 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) है। योजना का उद्देश्य आर्थिक/ सामाजिक विकास के मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है और विकास योजना की प्रक्रिया में सरकार की नीतियों, योजनाओं, स्कीमों के योजना निर्माण या कार्यान्वयन पर प्रत्यक्ष प्रभाव लाने वाले मूल्यांकन की आवश्यकता है।इस योजना का उपयोग मुख्य रूप से परामर्श शुल्क के भुगतान द्वारा नीति आयोग द्वारा कराए गए बाह्य अनुसंधान के लिए वित्त पोषण में शामिल व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित सेमिनार/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं आदि भी योजना के तहत समर्थित हैं। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों को इस योजना के तहत सेमिनारों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं/ शिखर सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/ वार्षिक समारोहों जैसे आयोजनों के लिए नीति आयोग लोगो का उपयोग करने की अनुमति देने के द्वारा गैर-वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए अनुसंधान और अध्ययन योजना के संबंध में विवरण अनुलग्नक-II में देखा जा सकता है।

(iii) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी):
इसका लक्ष्य भारत के 112 अपेक्षाकृतअल्प विकसित जिलों में कम समय मेंतेजी से परिवर्तन लाना है।इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इन जिलों में अपने अनोखे शासन मॉडल के माध्य में से कम समयावधि मेंबेहतर प्रदर्शन हुआ है।कार्यक्रम के मुख्य घटकों में सभी क्षेत्रों में प्रमुख निष्पादन संकेतकों का चयन शामिल है जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में 5 क्षेत्रों में से 49 संकेतकों का चयन किया गया है, जिनमेंस्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना शामिल हैं। जिलों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी इन संकेतकों में की गई प्रगति के आधार पर की जाती है। जिलों को रैंक देने के लिए इस प्रगति का उपयोग किया जाता है, जिन्होंने मासिक आधार पर उपर्युक्त संकेतकों पर सुधार दिखाया है। यह कार्यक्रम जिला टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने में सफल रहा है।कार्यक्रम की अन्य कार्यनीति प्रत्येक आकांक्षी जिले के लिए दोनों स्तरों पर प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को सक्षम बनाना है। प्रमुख संकेतकों की रीयल-टाइम निगरानी के इस दृष्टिकोण के साथ-साथ जिलों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने से जिलों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खास कर दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में।

अध्याय-तीन
विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय

3.1 विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) भारत सरकार का सर्वोच्च अनुवीक्षण और मूल्यांकन (एमएंडई) कार्यालय है। इसके कार्य क्षेत्र में नीति आयोग के सहयोगी एवं प्रतियोगी संघवाद के अधिदेश के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी सलाह प्रदान करना भी शामिल है। डीएमईओ की भूमिका इस प्रकार है: (क) आवश्यक मध्यावधि संशोधनो सहित उनके सुधारो को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतिक एवं दीर्घावधिक नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा तथा पहलो की प्रगति एवं प्रभाव की निगरानी करना; और (ख) सफलता की संभावना तथा प्रदायगी के कार्यक्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों एवं पहलो के कार्यान्वयन का सक्रियता से अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन करना।

2021-22 में डीएमईओ की प्रमुख परियोजनाओ में शामिल हैं:

(क) उत्पाद-परिणाम निगरानी रूपरेखा
(ख) डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक
(ग) वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक
(घ) अवसंरचना क्षेत्र की समीक्षा
(ड़) मूल्यांकन को संस्थागत बनाना और बढ़ावा देना
(च) राज्यों के साथ वचनबद्धता (सहयोगी संघवाद)
(छ) शैक्षिक संस्थाओ के साथ साझेदारी
(ज) क्षमता निर्माण
(झ) संस्थानिक सुदृढ़ीकरण के लिए अन्य गतिविधियां

3.2 डीएमईओ 2018 से उत्पाद-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) संकलित करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया संचालित कर रहा है। इस रूपरेखा में लाभार्थियो को सरकारी सेवा वितरण के प्राथमिक तरीके के रूप में केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित (सीएसएस) लगभग 500 योजनाओ का लाभ देने के लिए लगभग 5000 आउटपुट और परिणामी संकेतक हैं। ओओएमएफ का उपयोग करने में सीएस और सीएसएस के अंतर्गत 2021-22 में कुल 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक के केंद्रीय बजट में से 12 लाख करोड़ रुपये को कवर करता है। योजना के निष्पादन के मात्रात्मक माप के साथ इस वित्तीय परिव्यय को जोड़कर, सार्वजनिक व्यय का अधिक विवेकपूर्ण प्रयोग और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का इरादा है। डीएमईओ ने आउटपुट और परिणामी संकेतको के माप योग्य मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने में 67 मंत्रालयो और विभागो के साथ मिलकर काम किया है, डैशबोर्डों की मदद से तिमाही प्रगति पर नज़र रखी है, वित्त वर्ष 2020, वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 के लिए योजना निष्पादन डेटा एकत्र किया है और समीक्षा बैठको को सुगम बनाया है।

3.3 एक मानकीकृत रूपरेखा का उपयोग करके मंत्रालयो और विभागो की डेटा तत्परता का आकलन करने के लिए डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) तैयार करने का कार्य मई 2020 में शुरू किया गया था। मई 2020 से फरवरी 2021 के बीच संचालित किए गए डीजीक्यूआई 1.0 ने पैंसठ मंत्रालयो और विभागो के लगभग 250 सीएस/सीएसएस के लिए डेटा प्रणालियो के आकलन पर ध्यान केंद्रित किया। इस आकलन के आधार पर सुधार के क्षेत्रों को रेखांकित किया गया। इस योजना के निर्माण और कार्यान्वयन को गति देने के लिए डेटा और रणनीतिक यूनिट (डीएसयू) की स्थापना करने के साथ-साथ फ्रन्टीयर डीजीक्यूआई स्कोर प्राप्त करने के लिए मंत्रालयो और विभागो को एक कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई। इसके बाद, डेटा तत्परता के स्तर को मापने के साथ-साथ दिसंबर 2022 तक मंत्रालयो और विभागो के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक सुधार कार्यों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए डीजीक्यूआई एक नियमित अभ्यास बन गया। डीजीक्यूआई 2.0 अभ्यास में अधिकांश सीएस/सीएसएस के साथ-साथ मंत्रालयो/विभागो के गैर योजनाबद्ध हस्तक्षेप शामिल हैं। संसाधनो के लिए वेबिनार, आमने-सामने की बैठकों और प्रशिक्षण के माध्यम से डीएमईओ ने सीमांत डीजीक्यूआई स्कोर प्राप्त करने में

3.4 डीएमईओ उर्वरक, पेट्रोलियम, कृषि ऋण, फसल बीमा के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सरकार के विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रहा है। ये मूल्यांकन विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि सरकार के बजटीय आवंटन का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी कार्यक्रमों पर व्यय होता है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और खेल के क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओ का सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

3.5 डीएमईओ ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पीएएल), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), संबोधि, भारतीय मूल्यांकन समुदाय (ईसीओआई) और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (मोहाली) जैसे प्रमुख ज्ञान भागीदारों के परामर्श से सरकारी अधिकारियो के लिए एक समर्पित निगरानी एवं मूल्यांकन दक्षता रूपरेखा और पाठ्यचर्या का मसौदा तैयार किया है। डीएमईओ निगरानी एवं मूल्यांकन के प्रैक्टिशनर्स की सहायता के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के प्रमुख संसाधनों के भंडार का निर्माण कर रहा है। निगरानी एवं मूल्यांकन डोमेन में उपकरणों और ज्ञान तक पहुंच के लिए प्रैक्टिशनर्स, सरकारी अधिकारियो तथा अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न दिशानिर्देशो तथा टूल किट का विकास किया गया है तथा डीएमईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

3.6 2021 से, DMEO चुनिंदा 30 वैश्विक सूचकांकों (GI) पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के प्रदर्शन की माप और निगरानी की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विदेशी और घरेलू निवेश प्रवाह के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के दौरान सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों की नीतियों और प्रक्रियाओं में सक्रिय सुधारों के लिए सूचकांकों का उपयोग करना है। इसे सक्षम बनाने के लिए सूचकांकों और सुधारों की निगरानी के लिए डीएमईओ ने एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किया है।

3.7 डेटा निर्माण, डेटा गुणवत्ता, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, प्रौद्योगिकी के उपयोग, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता तथा केस स्टडी सहित विभिन्न मापदंडों पर 74 मंत्रालयों / विभागों में योजना निगरानी के लिए डेटा तैयारियों के स्तर और आईटी-आधारित प्रणालियों के उपयोग का आकलन करने के लिए डीएमईओ ने एक डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया है। । डेटा रणनीति इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, और डेटा क्षमताओं को और मजबूत करने तथा सुधारने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(करोड़ रुपए में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष	योजना का नाम	ब. आ. (2019-20)	वास्तविक (2019-20)	ब. आ. (2020-21)	वास्तविक (2020-21)	ब. आ. (2021-22)	वास्तविक (2021-22) (दिसम्बर 2021 तक)	ब. आ. (2022-23)
1	3475	विकास निगरानी तथा मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)	11.00	14.26	14.00	24.44	16.00	9.81	17.00

3.8 जब इस बात के कारण बताने को कहा गया कि ब. आ. (2022-23) में केवल एक करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि क्यों की गई है जबकि ब. आ. (2021-22) में आवंटित 16.00 करोड़ की तुलना में 17.00 करोड़ रुपये की मांग की गई है, तो योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"बीई डीएमईओ की मांग को दृष्टिगत विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) से प्राप्त अधिदेश के अनुसार मूल्यांकन अध्ययन करने के प्रयोजनार्थ प्रोफेशनल सेवा शीर्ष के तहत 25 करोड़ रुपये सहित 36.44 करोड़

रुपये की मांग की गई थी ताकि डैशबोर्ड एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य करने के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान किया जा सके और वाईपी आदि को भी उनका पारिश्रमिक दिया जा सके। इसके अलावा वेतन शीर्ष के तहत 10 करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना भी की गई थी। 2022-23 के लिए 36.44 करोड़ रुपये के आवंटन की मांगों के सापेक्ष, कार्यालय को कुल मिलाकर 17.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डीएमईओ अधिदेश के अनुसार निर्धारित कार्यकलापों में हुई प्रगति के आधार पर, अनुपूरक मांग आवश्यकता के अनुसार उठाई जाएगी।"

3.9 इस बारे में पूछे जाने पर कि क्या तीसरे पक्ष के मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों को मौजूदा योजनाओं में सुधार और नई योजनाओं को बेहतर तरीके से डिजाइन करने में शामिल किया गया है और यदि हां, तो उदाहरण के साथ उनका विवरण प्रदान करें, इस पर योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"जी हां, संबंधित मंत्रालय/विभाग ने योजनाओं में और सुधार लाने के लिए मूल्यांकन अध्ययन कार्यों के निष्कर्षों का उपयोग किया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उदाहरण दिया जा सकता है जिसका उद्देश्य आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करना है ताकि महिला पहले जीवित बच्चे की प्रसूति से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके। यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच बेहतर स्वास्थ्य स्थापित करने वाले व्यवहार को भी प्रोत्साहित करता है। इस योजना के तहत संबंधित महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए योजना के ईएफसी दस्तावेज में उल्लिखित मूल्यांकन अध्ययन के फलस्वरूप सुझाए गए परिवर्तनों का उल्लेख निम्नानुसार है:

(i) दूसरी कन्या के जन्म को कवर करने की योजना

(ii) ईएफसी टिप्पण में पात्रता राशि में वृद्धि की गई है पहले जन्म के लिए 5000 रुपये और दूसरे जन्म के लिए 6000 रुपये इस शर्त के साथ दिए जाएंगे कि जन्म लेने वाला बच्चा बालिका हो।

(iii) बलात्कार से बच जाने वाली महिलाओं और एकल जीवन जीने वाली माताओं को इस परिधि में शामिल करने और किसी भी किश्त को प्राप्त करने के लिए पति से संबंधित विवरण वाले कॉलम को पूरी तरह से हटा दिया जाए। इसी प्रकार पैकेज-10 के अंतर्गत पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्कीमों को जारी रखने के लिए गृह मंत्रालय से मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों सहित एक ईएफसी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, मूल्यांकन अध्ययन की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर, बीएडीपी योजना दिशानिर्देशों, 2020 में सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन को शामिल किया गया है।कानून और न्याय के लिए मूल्यांकन अध्ययन के तहत आधारभूत ढांचे के अधिकाधिक डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ कमजोर वर्ग के समूहों की कठिनाईयों को कम करने के लिए वर्चुवल न्यायालयों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने अपेक्षित कार्रवाई की है जिसके फलस्वरूप 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सत्रह वर्चुवल न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों ने 19.01.2022 तक, 1.20 करोड़ से भी अधिक मामलों का निपटान किया है और 20 लाख से अधिक (20,40,003) मामलों में 212 (212.01) करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन अर्थदंड प्राप्त किया है।सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए किए गए मूल्यांकन अध्ययन के तहत सुझाव दिया गया है कि मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सभी छात्रवृत्ति योजनाओं का विलय कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं मंत्रालय के अधीन अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ ऐसे ही उद्देश्यों, कार्यान्वयन क्षमताओं और पश्चवर्ती लिंकेज को साझा करती हैं। विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है।"

अध्याय-चार
अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) तथा स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू)

4.1 अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। एआईएम ने स्कूली बच्चों के बीच समस्या सुलझानेवाली अभिनव मानसिकता का पोषण करने और विश्वविद्यालयो, अनुसंधान संस्थानो, निजी क्षेत्र और एमएसएमई में उद्यमशीलता का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

4.2 एआईएम की सभी पहलों की वर्तमान में निगरानी की जा रही है और इसे समयोचित एमआईएस प्रणाली का उपयोग करके और गतिशील डैशबोर्ड के माध्यम से व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जा रहा है। निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए, एआईएम केअपने कार्यक्रमो की नियमित रूप से तृतीय-पक्ष एजेंसियो द्वारा समीक्षा की जाती है।

4.3 एआईएम अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल), अटल इंक्यूबेशन केंद्र (एआईसी), अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी), लघु उद्यमों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान (एआरआईएसई), अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी) और इकोसिस्टम के विकास गतिविधियों आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता और नवाचार इकोसिस्टम के विकास में ध्यान केंद्रित करता है। यह सभी मिलकर एआईएमके लिए कार्य योजना प्रदान करते हैं।

4.4 अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) हाई स्कूल के छात्रों में नवाचारी सोच को बढ़ावा देने के लिए एआईएम की एक प्रमुख पहल है। एटीएल छात्रों को परंपरा से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को डिजाइन के बारे में चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, संगणनात्मक चिंतन और डिजिटल निर्माण जैसे कौशलो से लैस करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। एटीएल योजना के तहत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना के लिए चयनित स्कूलों को 20 लाख रुपये तक का सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

4.5 अटल इंक्यूबयूशन सेंटर (एआईसी) का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप एवं उद्यमियो के लिए सहायक ईकोसिस्टम का निर्माण करते हुए उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है। एआईएम को विश्व स्तरीय इंक्यूबयूटर की स्थापना करने और उनकी सहायता करने का कार्य सौपा गया है। इस पहल के अंतर्गत, एआईएम 59 ग्रीनफील्ड एआईसी और नौ स्थापित इनक्यूबशन सेंटर (ईआईसी) को सहयोग देता है। 2021-22 में उन्नीस अनुवर्ती किश्तों को प्रोसेस किया गया है जिनका कुल परिव्यय 38.05 करोड़ रुपये है।

4.6 अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र (एसीआईसी) नवीन समाधानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नवाचारो को प्रेरित करने का एक साधन है। एसीआईसी निम्नलिखित के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों के लाभ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने का प्रयास करते हैं :

(क) संचालन की सुविधाओं के लिए उपयुक्त अवसंरचना;
(ख) 2.5 करोड़ रुपये के एआईएम अनुदान सहायता कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता, बशर्ते तुलनीय योगदान की पेशकश की जाती है;
(ग) ज्ञान और क्षमता संबधी सहायता (प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, विस्तृत प्रचालन मैनुअल, तथा नेटवर्किंग कनेक्शन); और
(घ) युवा केंद्रित सामुदायिक नवोन्मेष फेलोशिप।

4.7 अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियो पर आधारित नवाचारो का चयन, समर्थन और पोषण करने की दिशा में एक पहल है। इसके तहत ऐसी बाधाओं को दूर किया जाता है जिसके कारण नवोन्षक प्रयोग, मे परीक्षण और बाजार निर्माण के लिए संसाधनो तक पहुंच पाने में असमर्थ होता है। यह अनुदान गहन प्रौद्योगिकी उत्पादो के उत्पाद विकास और शुरुआती चरण के व्यावसायीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये तक के वित्त पोषण को आवश्यक बनाता है। प्रत्येक अनुवर्ती किश्त कार्यक्रम के स्थापित एसओपी के साथ-साथ लक्ष्यों और डिलिवरेबल्स की उपलब्धि और बजट के अनुपालन पर निर्भर है। प्रोटोटाइप को व्यावसायीकरण के चरण में ले जाने के उद्देश्य से सहायता 12 से 18

महीनो की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। एआईएम से अंतिम सहायता अनुदान और संबद्ध सहायता के लिए कुल 30 परियोजनाओ को मंजूरी प्रदान की गई थी।

4.8 आत्मनिर्भर भारत एराइ (लघु उद्यमों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवोन्मेष) –अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम अनुसंधान और नवोन्मेष को प्रेरित करने तथा सेक्टोरल समस्याओ के नवोन्षी समाधानों को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयो एवं संबद्ध उद्योगो के साथ सक्रियता से सहयोग करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य नवोनमेषी उत्पादों एवं समाधानो की एक निरंतर धारा भी प्रदान करना है जिसके लिए केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग संभावित प्रथम क्रेता बन सकते हैं। एआईएम ने अब तक पांच मंत्रालयो / विभागो के साथ 15 महत्वपूर्ण चुनौती विवरणो की पहचान की है।

4.9 एआईएम ने विभिन्न कॉरपोरेट्स और फाउंडेशनों के साथ 50 से अधिक साझेदारियों का निर्माण किया है और यह ऐसे उद्योग लीडर्स और फैकल्टी के साथ जुड़ा हुआ है जो अवसंरचना और प्रौद्योगिकी, बाजार और निवेशको तक पहुंच, माड्यूलों के निर्माण और एटीएल को अपनाने के माध्यम से एआईएम के लाभार्थियो की सहायता करते हैं।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) सहित स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) योजना के लिए वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान नियत और प्राप्त किए गए वास्तविक, भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में विवरण अनुलग्नक –तीन में देखा जा सकता है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए इसका आउटपुट और परिणाम लक्ष्य अनुलग्नक-चार में देखे जा सकते हैं।

(करोड़ रुपए में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्रम संख्या.	प्रमुख शीर्ष	योजना का नाम	ब. आ. (2019-20)	वास्तविक (2019-20)	ब. आ. (2020-21)	वास्तविक (2020-21)	ब. आ. (2021-22)	वास्तविक (2021-22) (दिसम्बर 2021 तक)	ब. आ. (2022-23)
1	3475	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) (राजस्व)	303.74	308.30	300.00	332.41	342.00	320.81	145.31
	3475	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) (पूंजी)	--	--	--	--	--	--	10.00

4.10 जब ब. आ. (2022-23) में 54.59% के कम आवंटन के कारण बताने के लिए कहा गया, जहां ब. आ. (2021-22) में आवंटित 342 करोड़ केवल रुपये की तुलना में 155.31 करोड़ रुपये की मांग की गई, योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एआईएम का प्रमुख घटक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए पिछले वर्षों से व्यय कर रहा है। एआईएम वर्ष 2021-22 के दौरान 10 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं को स्थापित करने संबंधी अधिदेश को पूरा करेगा। वर्तमान अधिदेश के आधार पर 2022-23 में नए एटीएल स्थापित

करने की कोई योजना नहीं है। एआईएम एटीएल के तहत अपने वर्तमान लाभार्थियों के समेकन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। एआईएम वर्तमान लाभार्थियों की अनवरत सहायता सहित अन्य कार्यक्रमों यथा एआईसी/एसीआईसी और एएनआईसी के अंतर्गत कुछ नए लाभार्थियों को भी चिन्हित करेगा।"

4.11 जब लघु उद्यमों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार चुनौतियों (एआरआईएसई) की प्रगति और उसके द्वारा उन्नत अनुसंधान, विचारों और प्रोटोटाइप से मेक इन इंडिया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नवाचार को प्रारंभिक चरण में स्थापित करने और बढ़ावा देने के तरीके के बारे में स्पष्ट करने के लिए कहा गया, तो योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर निम्नवत बताया:

"लघु उद्यम अनुप्रयोगिक अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम (एआरआईएसई) एक ऐसी राष्ट्रीय पहल है जिसके तहत मेक इन इंडिया स्टार्टअप और एमएसएमई के प्रारंभिक शोध, नवाचार कार्य को संवर्धित करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा को भी आगे बढ़ाती है। एआरआईएसई कार्यक्रम का उद्देश्य अवधारणा स्तर से वर्किंग प्रोटोटाइप स्तर तक नवाचारों को सहायता प्रदान करना है।

एआरआईएसई कार्यक्रम के पहले चरण में पांच केंद्रीय मंत्रालय शामिल हैं, जो 15 प्रमुख क्षेत्रक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भागीदार मंत्रालयों में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग शामिल हैं।

चयन संबंधी आवेदन और उसके तीन चरणों के लिए विस्तृत कार्यव्यवस्था सहित प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 13 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से स्टार्टअप्स/एमएसएमई की ओर से 25 नवाचारों का चयन एआरआईएसई कार्यक्रम के तहत सहायता अनुदान और अन्य संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था।

कुल अनुमोदित सहायता अनुदान 11.60 करोड़ रु. था, जिसे 12 माह की अवधि के दौरान प्रापणीय लक्ष्यों और संबंधित व्यवस्था के साथ तीन चरणों में वितरित किया गया।

इस कार्यक्रम और जीएफआर के दिशा-निर्देशों की प्रक्रिया की विस्तृत रूप में संपुष्टि करने के साथ-साथ 19 स्टार्टअप/ एमएसएमई ने 3.48 करोड़ रु. की सहायता अनुदान राशि की पहली किस्त संवितरित कर दी है, जबकि शेष 6 स्टार्टअप/ एमएसएमई अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

चयनित स्टार्टअप/ एमएसएमई इस समय अपनी पूर्व परिकल्पित यात्रा के विभिन्न चरणों में हैं इनमें से कुछ इस अवधारणा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं, जबकि कुछ इस कार्य की दिशा में अपेक्षित प्रोटोटाइप बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कुछ स्टार्टअप/ एमएसएमई ने इस दिशा में कुछ और आगे बढ़कर अनुसंधान और विकास कार्यों से संबंधित निजी क्षेत्र से अतिरिक्त निधियन प्राप्त किया है और इसके साथ-साथ उन्होंने आईपीआर के लिए भी दावा किया है।

एआरआईएसई कार्यक्रम निम्नलिखित के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा दे रहा है-

(i) यह केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को एक मंच पर जोड़ने के साथ-साथ इस क्षेत्रक से जुड़ी उन चुनौतियों पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिन्होंने मेक-इन-इंडिया जैसी समाधान प्रक्रियाओं को अपनाया है। इसके बाद यह स्टार्टअप/ एमएसएमई की दिशा में आगे बढ़कर श्रेष्ठतम नवाचारों का चयन और संपोषण करना चाहता है।

(ii) प्रारंभिक स्तर पर सुपात्र स्टार्टअप/एमएसएमई को सहायता अनुदान दिए जाने के प्रयोजनार्थ इसने प्रौद्योगिकी के असफल होने संबंधी गंभीर जोखिम वाली अवस्था के पहले चरण को पार कर लिया है।

एआरआईएसई कार्यक्रम अवधारणा के विकास स्तर तक यहां तक की प्रोटोटाइप से भी पहले वहां निधियन कार्य करता है, जहां निजी संस्थाओं के माध्यम से निधियन कार्य होना बहुत कठिन है। बहुत कठिन मार्ग से गुजरकर अपना अस्तित्व कायम रखना स्टार्टअप के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे निवेशकों को यह संकेत मिलता है कि इसने अपने प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है तथा अब उसके लिए वाणिज्यकरण के क्षेत्र में पदार्पण करने का बेहतर अवसर मौजूद है।

(iii) अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों, केंद्रीय विशेषज्ञ मंच और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एआईएम के विभिन्न कार्यक्रमों को सहायता तथा स्टार्टअप/एमएसएमई के प्रदर्शन के माध्यम से एआईएम नवाचारी पारिस्थितिकी को हस्तचालित सहायता प्रदान की जा रही है।"

अध्याय- पाँच
आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)

5.1 आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में 112 पिछड़े जिलों में तेजी से परिवर्तन करना है जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता या आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये चिन्हित क्षेत्र स्वास्थ्य और पोषण, स्कूली शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना हैं। इन क्षेत्रों में 49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों का चयन किया गया है और इन संकेतकों पर की गई प्रगति के आधार पर एक जिले के कार्य-निष्पादन की निगरानी की जाती है। इसकी शुरुआत के बाद से, कार्यक्रम अपने तीन 'सी' दृष्टिकोण के आधार पर जिलों के साथ काम करने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहा है: जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर की पहलों के अभिसरण को सक्षम करने के तरीकों का अध्ययन करना; एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में नागरिक समाज संगठनों, समुदायों और जिला प्रशासनों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करना; और जिलों के कार्य-निष्पादन के आधार पर मासिक रैंक जारी करके प्रतिस्पर्धा की एक स्वस्थ भावना को बढ़ावा देना।

5.2 चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड - जो सभी 112 आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन की निगरानी करता है - अपने उन्नत संस्करण में उन्नत डेटा एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान करता है और इसके अतिरिक्त जिलों को मासिक प्रदर्शन और डेटा गुणवत्ता रिपोर्ट प्रदान करता है। इस निगरानी तंत्र के अनुसार, प्रत्येक माह, जिलों का मूल्यांकन मासिक प्रगति के आधार पर किया जाता है और समग्र रूप से सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले जिले की पहचान की जाती है और पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में उनके निष्पादन के अनुसार अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त आबंटन के आधार पर, जिलों को स्कीमों के कार्यान्वयन में किसी भी महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने और प्रमुख निष्पादन संकेतकों पर वांछित स्तरों को प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5.3 आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) भी जिलों के बीच असमान विकास को पाटने की दिशा में प्रयासरत रहा है। परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम जिला-विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और विकास भागीदारों सहित समुदाय के साथ सहयोग के लिए एक मंच के रूप में उभरा है। परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम जिला-विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और विकास भागीदारों सहित समुदाय के साथ सहयोग के लिए एक मंच के रूप में उभरा है। चाहे वह मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुधार हो या स्वास्थ्य और पोषण परिणामों में सुधार हो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने लंबे समय तक चलने वाले विकास लक्ष्यों की दिशा में केंद्रित प्रयासों को सक्षम बनाया है। संकेतकों के एक प्रमुख सेट की पहचान से सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों की प्राथमिकताओं के संरेखण में मदद मिली है। यह कार्यक्रम आउटरीच गतिविधियों और इन जिलों में परिवर्तन लाने में समुदायों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप 'शिक्षा' तथा 'स्वास्थ्य और पोषण' के मापदंडों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को चलाने के लिए हाइपर-स्थानीय योगदानकर्ताओं और सामुदायिक हितधारकों को शामिल करके आकांक्षी जिला सहयोग (एडीसी) का निर्माण हुआ है। इस पहल में स्थानीय संस्थागत संचालकों (जैसे स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, कॉलेजों, मीडिया, महिला स्वयं सहायता समूहों, पंचायत समितियों और धर्म गुरुओं) के साथ सहयोग करना शामिल है ताकि गहरे सामुदायिक ज्ञान का लाभ उठाया जा सके और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को सुविधाजनक बनाया जा सके। अब तक इस कार्यक्रम में 914 गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है ताकि जिलों की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उनके प्रयासों को केंद्रित किया जा सके करने और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रयासों का दोहराव न हो।

5.4 एक अन्य दिशा जिसमें यह कार्यक्रम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा , वह है ब्लॉक स्तर पर एडीपी टेम्पलेट को दोहराने में सभी राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करना। इन जिलों के तेजी से और सतत परिवर्तन के लिए ब्लॉक स्तर पर विकास पर विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण है- लेकिन स्थायी रूप से। जबकि ब्लॉक-स्तरीय शासन दशकों से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन कुछ अति पिछड़े जिलों में इस कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ तकनीकी क्षमता के माध्यम से जिलों को सक्षम बनाने की अपार संभावनाएं हैं। नीति आयोग ने अल्प विकसित ब्लॉकों के परिवर्तन के लिए एक पुस्तिका बनाई है, जिसे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी आकांक्षी जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों के साथ साझा किया गया है।

5.5 सितंबर 2020 में, कार्यक्रम का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया था, जिसने जून 2021 में एडीपी पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। मूल्यांकन काफी हद तक सकारात्मक था और अपनाई गई कई प्रमुख कार्यनीतियों की पुष्टि की गई। यूएनडीपी ने कहा कि यह कार्यक्रम 'स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सफल मॉडल साबित हो रहा है' और साथ ही एक समान सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर पर इस मॉडल को दोहराने की सिफारिश की। रिपोर्ट के मूल्यांकन में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही आकांक्षी जिले औसतन ऊपर की ओर अग्रसर हैं और उन्होंने अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण और आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार को अधिक काम की जरूरत वाले क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया है।

5.6 जब ब.अ. (2022-23) में 100% की भारी कमी के कारणों का उल्लेख करने के लिए कहा गया,जिसमें 500 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, उसमें से बीई (2021-22) में आवंटित 581 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 0.01 करोड़ रुपये का टोकन बजट प्रावधान आवंटित किया गया है, तो योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया :

"पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तपोषित एक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के तहत निष्पादन के आधार पर आकांक्षी जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए निधि प्राप्त हुई थी। पिछले तीन वित्तीय वर्ष में, यह निधि 15 बिलियन येन (लगभग 974 करोड़ रु.) था। यह निधि नीति आयोग के पास 'पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए)' के रूप में आई है और इसके लिए बजटीय प्रावधान इस प्रकार है:

वर्ष	बजटीय राशि रुमें.
2019-2020	126 करोड़
2020-2021	267 करोड़
2021-2022	581 करोड़

ऐसा लग रहा है कि यह परियोजना चालू वित्त वर्ष में समाप्त हो जाएगी।
जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने में इस परियोजना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, नीति आयोग ने आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और व्यय विभाग (डीओई) को ईएपी के दूसरे चरण में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। जिसमें जेआईसीए द्वारा लगभग 933 करोड़ रुपये की अधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विशेष रूप से, 500 करोड़ रुपये की राशि का बजट इस उम्मीद पर रखा गया था कि अगले वित्त वर्ष (2022-23) के लिए बजट जारी होने से पहले इसे मंजूरी दे दी जाएगी।
यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। व्यय विभाग ने अपनी मंजूरी लंबित रहने तक 0.01 करोड़ रुपये का सांकेतिक आवंटन किया है। यह आशा की जाती है कि एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, यह निधि नीति आयोग को बजट शीर्ष के तहत उपलब्ध कराई जाएगी जो पहले से मौजूद है।"

5.7 जब आवंटित निधियों के व्यय की धीमी दर के कारण बताने के लिए कहा गया,क्योंकि ब.अ. (2021-22) में आवंटित 581 करोड़ रुपये में से, दिसंबर 2021 तक केवल 199.97 करोड़ रुपये (34.42%) खर्च किए गए हैं, जबकि 381.03 करोड़ रुपये (65.58%) की एक बड़ी राशि अभी भी खर्च नहीं की गई है, योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"जिले को राशि उपलब्ध कराने की मौजूदा प्रक्रिया इस प्रकार है। हर महीने, आकांक्षी जिलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक दिया जाता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले को 10 करोड़ रु. (समग्र रूप से रैंक 1) तक अतिरिक्त आवंटन मिलता है, दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले को 5 करोड़ रु. (समग्र रूप से रैंक 2) मिलता है और पांच क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले (अर्थात्, निम्नलिखित में से प्रत्येक में रैंक 1 प्राप्त करते हैं, यथा स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि और जल संसाधन और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में) प्रत्येक को 3 करोड़ रु. मिलते हैं। परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बार जब संबंधित जिले प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त आवंटन के लिए पात्र हो जाते हैं, तो उन्हें इस तरह के अनुदान से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं को सूचीबद्ध करके एक

कार्य योजना तैयार करनी होती है। इन कार्यों की योजना नीति आयोग में एक परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा पुनरीक्षित की जाती है, जो ऐसे प्रस्तावों को तैयार करने में जिलों की सहायता भी करती है। अंत में, इन प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष लाया जाता है, और धन का संवितरण किया जाता है।

इस विंडो के तहत परियोजनाओं के सावधानीपूर्वक चयन को सक्षम करने के लिए यह प्रक्रिया रखी गई है जो या तो जिले में एक महत्वपूर्ण अंतर को पाट देगी या अभिनव स्वरूप की होगी। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों में, कोविड की दूसरी लहर (मार्च-मई 2021) के कारण, जिले कार्य योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दे सके। जैसे ही महामारी कम हुई, जिलों द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने और सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया।

यह देखा गया है कि दिसंबर 2021 तक इस शीर्ष के तहत व्यय केवल 199.97 करोड़ रु. था। यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान में बड़ी संख्या में परियोजनाएं सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन हैं और हाल ही में परियोजनाओं के अनुमोदन के कारण व्यय 199.97 करोड़ रु. से बढ़कर 364.21 करोड़ रु. हो गया।"

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

<u>बजट का विश्लेषण</u>

1. समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए मांग संख्या 77 के अंतर्गत योजना मंत्रालय का बजट अनुमान 321.42 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से, वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान क्रमशः 1062.77 करोड़ तथा 1070.78 करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक राशि 748.68 करोड़ रुपए बैठती है। योजना मंत्रालय के बजट की संवीक्षा से यह प्रकट होता है कि बजट अनुमान (2022-23), बजट अनुमान (2021-22) और वास्तविक (2020-21) के बारे में 69.76 प्रतिशत तथा 57.07 प्रतिशत कम हुआ है। विचार-विमर्श के दौरान, योजना मंत्रालय ने समिति को बताया है कि आगामी व्यय वित्तीय समिति (ईएफसी) बैठक में आकांक्षी जिलों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) से सरकार विकास सहायता (ओडीए) के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए के आबंटन की उम्मीद कर रहे थे। मंत्रालय ने समिति को आगे बताया कि एक बार जब निधि उपलब्ध हो जाती है, 2022-23 का बजट अनुमान 800 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ जाएगा। समिति जब यह आशा कर रही है कि यह निधि जल्द ही जारी हो जाएगी, को भी इंगित किया जाता है। तथ्य यह है कि बजट अनुमान (2022-23) के लिए इस अतिरिक्त निधि को शामिल करने के पश्चात् भी कुल राशि बजट अनुमान (2021-22) में लगभग 200 करोड़ रुपए के करीब कम पड़ती है। समिति का मत है कि नीति आयोग सरकार का प्रमुख थिंक टैंक होने के नाते को पर्याप्त निधियां दी जानी चाहिए ताकि वह अपने सरकार के लिए महत्वपूर्ण कार्यों अर्थात् दीर्घकालिक नीतियों की अभिकल्पना तथा कार्यक्रम को कर सके। जबकि दूसरी ओर केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को संगत रणनीति तथा तकनीकी परामर्श प्रदान करा सके।

2. समिति नोट करती है कि बजट अनुमान (2022-23) के राजस्व तथा पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आबंटन क्रमशः 310.67 करोड़ तथा 10.75 करोड़ रुपए है, जबकि बजट अनुमान 2021-22 में, ये आबंटन क्रमशः 1061.99 करोड़ तथा 0.78 करोड़ रुपए थे। समिति नोट करती है कि गत वर्ष की तुलना में, इस वर्ष आबंटन में भारी अंतर है, जिसमें बजट अनुमान 2022-23 के राजस्व शीर्ष में बजट अनुमान 2021-22 के राजस्व शीर्ष से अलग 70.75 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई है। इसी प्रकार से, बजट अनुमान 2022-23 का पूंजीगत शीर्ष में बजट अनुमान (2021-22) के पूंजीगत शीर्ष में 1278.21 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है। योजना मंत्रालय ने समिति को बताया था कि वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत खंड में वृद्धि एएनआईसी/एआरआईएसी स्टार्टअप में इक्विटी दावें के लिए प्रदान कराने हेतु विनिवेश शीर्ष के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए के अप्लाइड रिसर्च एंड इंनोवेशन दन स्मॉल इंटरप्राइजेज (अराईज)/ अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) के लिए आबंटित बजट के कारण हैं। समिति का मत है कि इस तरह के आबंटनों को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए न कि एकाएक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। समिति को यह भी बताया जाए क्या आयोग के अधिदेश के भीतर आने वाले अनुदान से अलग रूप से ऐसी इक्विटी की भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रायोगिक परियोजना के विवरणों को समिति को प्रस्तुत किया जाए।

<u>विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)</u>

3. समिति नोट करती है कि बजट अनुमान (2022-23) में डीएमईओ के लिए आबंटन में एक करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि की गई है जबकि बजट अनुमान (2021-22) में आबंटित 16 करोड़ रुपए की तुलना में 17 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई थी। योजना मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को बताया है कि हमने 36.44 करोड़ रुपए के आबंटन की मांग की थी, लेकिन हमें मात्र 17.00 करोड़ रुपए ही आबंटित किए गए थे। समिति का मानना है कि डीएमईओ को निधियों के कम आबंटन करने की वजह से डीएमईओ

द्वारा की जा रही निगरानी और मूल्यांकन (एमएंडई) का महत्वपर्ण कार्य तथा अनेकों पहले जैसे कि उत्पादन-परिणाम निगरानी अवसंरचना (ओओएमएफ), अवसंरचना क्षेत्र समीक्षा, योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन और विश्लेषण कार्य (थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ एमब्रेला एंड एनालेशिस वर्क) इत्यादि केन्द्रीय प्रायोजित सकीमों (यूसीएसएस) क्षमता अभिवृद्धि कार्य, अनुसंधान एवं विश्लेषण कार्य इत्यादि से समझौता किया जाए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि योजना मंत्रालय को उसके द्वारा प्रक्षेपित डीएमईओ के लिए निधियों की वृद्धि के लिए जोर देकर पाने की कोशिश करनी चाहिए।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम)

4. समिति नोट करती है कि अटल नवाचार मिशन (एआईएम) की प्रमुख स्कीम के लिए आबंटन में 54.59 प्रतिशत की भारी कमी की गई है, जिसके तहत बजट अनुमान (2022-23) में बजट अनुमान (2021-22) में 342 करोड़ रुपए के पूर्ववर्ती आबंटन 155.31 करोड़ रुपए ही आबंटित किए गए हैं। योजना मंत्रालय ने एक लिखित अनुरोध में समिति को यह बताया था कि वर्षों से एआईएम के व्यय के प्रमुख घटक जो कि स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं (एटीएल्स) की स्थापना के लिए है तथा वर्ष 2021-22 में 10,000 एटीएल्स की स्थापना करने के अपने अधिदेश को एआईएम ने पूरा किया है, उन्होंने मात्र कम राशि में भी आबंटन को मांगा था। हालांकि, समिति महसूस करती है कि एआईएम का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की पारिस्थितिकी को सृजित करना अभी दूर की बात है, विश्व के नवाचार हब के रूप में वास्तविक रूप से भारत को लाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, समिति यह भी नोट करती है कि एआईएम सतत रूप से उसके द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अराईज (अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्मॉल इंटरप्राइजेज) – अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज कार्यक्रम जैसी नई पहलों को किए जाने की आवश्यकता है जो संघीय मंत्रालयों और संबद्ध उद्योगों के सक्रिय सहयोग से हो पाएगा तथा क्षेत्रीय समस्याओं के लिए उत्प्रेरित अनुसंधान एवं नवाचार तथा नवाचार समाधान सुकर हो पाएंगे। ऐसे परिदृश्य में, समिति को विश्वास है कि एआईएम के लिए बजट आबंटनों में कमी होने के बावजूद, नीति आयोग को शेष निधियों का उपयोग करना चाहिए ताकि एआईएम अन्य पहलों का प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन कर सके। समिति यह भी विश्वास करती है कि एटीएल्स की स्थापना करने के बावजूद, उनकी देखरेख स्कूल-विधार्थियों की नवाचार मानसिकता को पोषित करने का एक महत्वपूर्ण भाग है। अतः समिति सिफारिश करती है कि एआईएम निधियों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए ताकि नीति आयोग द्वारा समस्त एटीएल्स की सख्त निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा करने के लिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि नवीनतम प्रोद्यौगिकियों के उपयोग को इन स्कूलों में नीति अधिकारियों के नियमित दौरों को आयोजित कराया जाए। समिति विश्वास करती है कि अटल नवाचार मिशन को सार्थक तरीके से विश्वविद्यालयों तक बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है। भारत के विश्वविद्यालयों में प्रायोजितकर्ताओं तथा स्टार्ट अप पुरस्कार प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त निधियों को अलग रखा जाना नहीं देता है। नीति को विश्वविद्यालयों हेतु सक्रिय कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ताकि अनुपूरक अनुरोध में वित्तपोषित हो सके।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)

5. समिति नोट करती है कि बजट अनुमान (2022-23) में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के लिए बजटीय आबंटन मात्र 0.01 करोड़ रुपए है। बजट अनुमान (2021-22) में लगभग प्रतिशत के लगभग की भारी कमी है, जिसमें 581 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। योजना मंत्रालय ने समिति को बताया है कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए के आबंटन की मांग की थी लेकिन व्यय वित्तीय समिति (ईएफसी) को इसे प्रस्तुत न किए जाने के कारण, वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग द्वारा बजट अनुमान (2022-23) के लिए मात्र 0.01 करोड़ रुपए का सांकेतिक उपबंध बजट में किया गया था। मंत्रालय ने समिति को यह बताया था कि 500 करोड़ रुपए का

प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है और ऐसा अनुमान है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसे ही यह प्रस्ताव अनुमोदित हो जाएग, बजट शीर्ष के अंतर्गत नीति आयोग को उपलब्ध हो जाएगा जो पहले से ही विद्यमान है हालांकि समिति का मत है कि जो भी आबंटन किया जाता है जहाँ तक संभव हो बजट अनुमान में स्वतः कर दिया जाता है ताकि व्यय की आयोजना की जाए और उसे समय पर व्यय कर लिया जाए तथा किसी भी स्कीम निधि को अभाव का सामना न करना पड़े।

6. समिति नोट करती है कि नीति आयोग अपने आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर प्रतिलिपि कारक एडीपी टेम्पलेट में राज्य सरकारों का मार्गनिर्देशन कर रहा है और उसने अर्द्धविकसित ब्लॉकों को परिवर्तित करने के लिए, एक हैंडबुक भी बनाई है। हालांकि, समिति पाती है कि विभिन्न राज्य अपने यहाँ पिछड़े ब्लॉकों को विकसित करने के लिए इस पहल और कार्य को और अधिक सक्रिय रूप से करने की आवश्यकता है। इसलिए समिति नीति आयोग से यह सिफारिश करती है कि वह खिसकने वाले राज्यों को और प्रोत्साहित करे कि वो ब्लॉकों के लिए अपने स्वयं के टेम्पलेट विकसित कराये, हरेक ब्लॉक अपनी विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए, जमीनी स्तर पर उन्हें प्रभावी रूप से कार्यान्वित करे। समिति का दृढ़ मत है कि इस तरह के विकेन्द्रीयकरण से इन ब्लॉकों की अपनी समाजिक-आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय झमता में सुधार होगा। समिति का यह भी विश्वास है कि पिछड़े ब्लॉकों को विकसित करना, राज्यों में पिछड़े जिलों में विकास के लिए महत्वपूर्ण है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसे कार्यक्रमों को निचले स्तर अर्थात् नगरपालिकाओं तथा पंचायतों तक भी विकसित किया जाए ताकि वे राज्य की नागरिक भागीदारिता के साथ समग्र तथा सतत विकास करने में समर्थ हो सकें।

7. समिति नोट करती है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा स्वतंत्र रूप से एडीपी को अवगत कराया है। अपने प्रतिवेदन में यूएनडीपी जब कार्यक्रम के सकारात्मक पहलूओं को स्वीकार करते हुए इसे इंगित कर रही थी ने भी यह बताया है कि निचले स्तर पर क्षमता अभिवृद्धि तथा डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना वह क्षेत्र हैं जिनमें आगे और काम करने की आवश्यकता है। इस समिति ने अपनी पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में कर्मचारियों की कमी तथा डेटा की गुणवत्ता के संबंध में चिंताओं को इंगित किया था जिसको कि नीति आयोग द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। समिति अपने पर्ववर्ती सिफारिशों को दोहराती है कि ओर अधिक बल दिए जाने की जरूरत है तथा डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने की भी आवश्यकता है। समिति आगे यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग डेटा संग्रहण में किया जाए और ऐसे डेटाओं को वास्तविक रूप से क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकारों से सत्यापित किया जाए। इसके अलावा समिति सिफारिश करती है कि नीति आयोग को जिला स्तर पर अपेक्षित तथा शिक्षित कर्मचारियों को रखना चाहिए ताकि एडीपी के अंतर्गत पिछड़े जिलों के मूल्यांकन तथा रैंकिंग के लिए उच्च गुणवत्ता डेटा सुनिश्चित किया जा सके। समिति चाहती है कि नीति आयोग संसद ग्रंथालय पोर्टल के माध्यम से संसद सदस्यों के साथ अपने समस्त प्रतिवेदनों/अध्ययनों को प्रदान/शेयर करे।

8. नीति आयोग ने आगामी वर्ष अथवा उसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र मॉडलिंग के लिए अपनी योग्यता को बनाने के लिए मॉडलिंग कैपेसिटी को आरंभ कर दिया है। यह चुनौती देते हुए कि भारत हरित ऊर्जा और बिजली के वाहन के लिए परिवर्तन का सामना कर रहा है। साथ ही हमारे श्रम बल की भागीदारी दर में भी सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह के मॉडलिंग अध्ययन नीति बनाने के लिए अमूल्य मार्गदर्शक हैं।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति

मांग सं. 77 -योजना मंत्रालय

(हजार रु. में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	स्कीम का नाम	ब.अ. 2019-20	वास्तविक 2019-20	ब.अ. 2020-21	वास्तविक 2020-21	ब.अ. 2019-20 की तुलना में ब.अ. 2020-21 में %वृद्धि/कमी	ब.अ. 2021-22	वास्तविक 2021-22 (@)	ब.अ. 2020-21 की तुलना में ब.अ. 2021-22 में %वृद्धि/कमी	ब.अ. 2022-23	ब.अ. 2021-22 की तुलना में ब.अ. 2022-23 में %वृद्धि/कमी
1. स्थापना व्यय												
1	3451	योजना विभाग	15000	9958	15000	10940	--	15000	10430	--	15500	(+)3.33%
2	3451	नीति आयोग (मुख्यालय)	706100	681236	740200	665111	(+)4.83%	670000	749414	(-)9.48%	1172900	(+)75.06%
3	3451	नवीनीकरण और परिवर्तन(#)	--	--	--	11698	--	70000	22337	--	75000	(+)7.14%
4	3451	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व)(#)	--	--	--	10487	--	30000	14450	--	25000	(-)16.67%
5	3451	प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद	15000	42452	30000	29283	(+)100.00 %	30000	14390	--	30000	--
6	3451	विभागीय कैंटीन	7000	5374	7000	5360	--	6000	4697	(-)14.29%	6500	(+)8.33%
7	3475	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय	110000	142680	140000	244449	(+)27.27%	160000	98113	(+)14.29%	170000	(+)6.25%

		कुल- स्थापना व्यय	853100	881700	932200	977328	(+)9.27%	981000	913831	(+)5.23%	1494900	(+)52.39%
2. अन्य केंद्रीय व्यय												
1	3475	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान को सहायता अनुदान	93500	114300	90000	95000	(-)3.74%	96700	66500	(+)7.44%	98600	(+)1.96%
		कुल अन्य केंद्रीय व्यय	93500	114300	90000	95000	(-)3.74%	96700	66500	(+)7.44%	98600	(+)1.96%
3. केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम												
1	3475	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (राजस्व)	3037400	3082989	3000000	3324092	(-)1.23%	3420000	3208108	(+)14.00%	1453100	(-)57.51%
	3475	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (पूंजी) (*)	--	--	--	--	--	--	--	--	100000	--
2	3475	योजना निरूपण,	480000	342192	500000	334666	(+)4.17%	--	--	(-)100.00%	--	--

		मूल्यांकन एवं समीक्षा(^)										
3	3475	नवीनीकरण और परिवर्तन (#)	90000	16940	90000	26920	--	--	--	(-)100.00%	--	--
4	3475	अनुसंधान एवं अध्ययन (&)	40000	34738	50000	49551	(+)25.00%	312200	20085	(+)524.40%	60000	(-)80.78%
6	3475	संयुक्त राष्ट्र - नीति आयोग कार्यनीतिक सहकारी परियोजना ($)	1000	--	--	--	(-)100.00%	--	--	--	--	--
7	3475	संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता	1200000	1250050	1800000	2667563	(+)50.00%	5810000	1999738	(+)222.78%	100	(-)100.00%
8	3475	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व)(#)	27900	17439	30000	15008	(+)7.53%	0	0	(-)100.00%	--	--

@ यह व्यय दिसंबर 2021 तक का है।

($)एसएमडी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान चरण में बजट प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया है।

(#) दो विस्तृत शीर्षो अर्थात् 1. नवीनीकरण और परिवर्तन 2. सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व) को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान योजना से स्थापना में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(&)अनुसंधान और अध्ययन योजना के तहत 25.22 करोड़ रुपये की राशि रोक ली गई है जिसे 29.04.2021 को नीति आयोग- मुख्यालय में बाद में पुन: विनियोजित किया गया।

(^) योजना - योजना निर्माण, मूल्यांकन और समीक्षा वित्तीय वर्ष 2021-22 से बंद कर दी गई है।

(हजार रु(मे .)

क्र .सं.	मु ख्य शीर्ष	स्कीम का नाम	ब.अ. 2019-20	वास्तविक 2019-20	ब.अ. 2020-21	वास्तविक 2020-21	ब .अ.2019-20 की तुलना में ब .अ.2020-21 में क/वृद्धि% मी	ब.अ. 2021-22	वास्तविक 2021-22 (@)	ब.अ. 2020-21 की तुलना में ब .अ.2021-22 में क/वृद्धि% मी	ब.अ. 2022-23	ब.अ. 2021-22 की तुलना में ब .अ.2022-23 में क/वृद्धि% मी
10	5475	सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजी)	11100	--	7800	2819	(-)29.73%	7800	--	--	7500	(-)3.85%
		कुलकेंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं -	**4887400**	**4744348**	**5477800**	**6420619**	**(+)12.08%**	**9550000**	**5227931**	**(+)74.34%**	**1620700**	**(-)83.03%**
		सकल योग	**5834000**	**5740348**	**6500000**	**7492947**	**(+)11.42%**	**10627700**	**6208262**	**(+)63.50%**	**3214200**	**(-)69.76%**
	3451	वसूली घटाएं		(-) 4764								
	3454	वसूली घटाएं		(-) 34974								
	3475	वसूली घटाएं		(-) 10838		(-) 6051						
				5689772		**7486896**						

अनुबंध दो

अनुसन्धान और अध्ययन योजना का विवरण

योजनाओं/ कार्यक्रमों/ परियोजनाओं का नाम	परिव्यय करोड़) (में .रु	वास्तविक लक्ष्य		वास्तविक उपलब्धियां		लक्ष्य प्राप्त करने में यदि कोई कमी हो	कमी के कारण	सुधार के लिए उठाए गए कदम
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22			
अनुसंधान एवं अध्ययन योजना	6.00	• 21 अनुसंधान अध्ययन प्रस्ताव • 5 सेमिनार कार्यशाला प्रस्ताव • 30 लोगो समर्थन	• 20 अनुसंधान अध्ययन प्रस्ताव • 5 सेमिनार कार्यशाला प्रस्ताव • 30 लोगो समर्थन	• 22 अनुसंधान अध्ययन पूर्ण • 11 नए अध्ययन अनुमोदित और 13 संगठनों को पहली किस्त जारी की गई • 25 संगठनों को दूसरी किस्त जारी की गई। • 2 राष्ट्रीय सेमिनार प्रस्ताव अनुमोदित • 38 लोगो समर्थन प्रस्ताव अनुमोदित	• 13 अनुसंधान अध्ययन पूर्ण • 15 नए अध्ययन अनुमोदित और 11 संगठनों को पहली किस्त जारी की गई। • 5 संगठनों को दूसरी किस्त जारी की गई। • 31 लोगो समर्थन प्रस्ताव अनुमोदित	उन.	कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे अनुसंधान अध्ययनों तथा नए अध्ययन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में भी देरी हुई है। जैसा कि सेमिनार अनुदान का संबंध है, महामारी के कारण उच्च गुणवत्ता वाले वास्तविक कॉन्फ्रेंसोंसेमिनारों / का आयोजन नहीं किया जा रहा है।	महामारी में कमी आने पर अनुसंधान अध्ययनों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है और अधिक से अधिक अध्ययन पूरे किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए वर्ष के दौरान दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

अनुबंध तीन

योजना मंत्रालय, स्वरोज़गार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के लिए वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-2022 के दौरान निर्धारित एवं प्राप्त वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा

योजनाओं/ कार्यक्रमों/ परियोजनाओं का नाम	परिव्यय 2021-22 (करोड़ रुपए में)			वास्तविक लक्ष्य			वास्तविक उपलब्धि			लक्ष्य प्राप्ति में कमी, यदि कोई हो	लक्ष्य प्राप्ति का कारण, यदि कोई हो	सुधार के लिए उठाए गए कदम
	आबंटन		व्यय	कुल लक्ष्य	2020-21	2021-22	कुल उपलब्धि	2020-21	2021-2022			
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक 31.12.2021 तक									
1. स्वरोज़गार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)	342	342	320.8	10000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैबों की स्थापना	बजट की उपलब्धता के अनुसार 10000 से अधिक एटीएल के कुल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2000 से अधिक एटीएल स्कूलों को संवितरण	बजट की उपलब्धता के अनुसार 10000 से अधिक एटीएल के कुल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2500 से अधिक एटीएल स्कूलों को संवितरण	कुल 10000+ स्कूलों का चयन किया गया। कुल 9600+ एटीएलों को वित्त पोषित किया गया।	2268 एटीएल की स्थापना की गई और कुल वित्त पोषित स्कूलों में7246 एटीएल स्थापित हो गए।	2360 एटीएल की स्थापना की गई और कुल वित्त पोषित स्कूलों में9606 एटीएल स्थापित हो गए।	10000 एटीएल के कुल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए394 एटीएल हेतु वित्त पोषण किया जाना शेष है।		वित्तमंत्रालयद्वाराअनुमोदितबजटकेआधारपरवित्तवर्ष 2021-22 में 342 करोड़रुपयेकाबजटीयप्रावधानकियागयाहै। लक्षितव्यय कोपूराकरनेके लिए320 करोड़रुपयेके सहायताअनुदा

				101 अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों (एआईसी) की स्थापना	25 अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।हालां कि, उपलब्ध कराया गया बजट कम होने के कारणलक्ष्य कोसंशोधित कर 4 एआईसी किया गया।	बजट उपलब्धता के अनुसार 4 नयेइन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।	कुल 102एआईसी को संक्षिप्त सूची में रखा गया / चिन्हित किया गया है। 69 एआईसी पहले ही संचालित कर दिए गए हैं। 2 आवेदकों का पुनरीक्षण चल रहा है। 31 आवेदकों का चयन नहीं किया गया है।	इस वर्ष 4 एआईसी को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। अब तक कुल 69 (एक एआईसी ने ब्याज सहित पूरी राशि वापस कर दी है) एआईसी को संचालित किया गया है।	एआईसी के लिए 10 आवेदकों कीसम्यक तत्परता की प्रक्रिया चल रही है।अभी तक कुल 68 एआईसी संचालित कर दिए गए हैं।			नकेलिएमंजूरी दीगईहै।हालाँ कि, लक्ष्यप्राप्तिके लिएयहप्रावधा नपर्याप्तनहींहो सकताहै।
				चरण 1 में 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत हुई। नवाचारों का चयन और समर्थन। -15	एएनआईसी 1.0 . में 30 नवाचारों को सहायता अनुदानसमर्थन प्रदान करना|	एएनआईसी 1.0 में 30 नवाचारों को सहायता अनुदानसमर्थन प्रदान करना| - एआरआईएसइ में 24 नवाचारों को	एएनआईसी1.0 को शुरू किया गया और विजेताओं का चयन किया है। एएनआईसी-एआरआईएसइ को शुरू किया गया और	-28 एएनआईसी1.0 नवाचारों को सहायता अनुदान की पहली किश्त दी गई।	- कुल मिलाकर, 30 एएनआईसी1.0 नवाचारों को सहायता अनुदान की पहली किश्त दी गई है और 4 नवाचारों को सहायता अनुदान की दूसरी किश्त	- एएनआईसी-एआरआईएसइ के तहत -6 नवाचारों के सहायता अनुदान की पहली किश्त 2021-22की चतुर्थ तिमाहीमें दी जानी है|		

				एनएनआईसी – अराइज चैलेंजेज़ का शुभारंभ और नवाचारों का चयन और समर्थन		सहायता अनुदानसमर्थन प्रदान करना।	विजेताओं का चयन किया गया है।		दी गई है। 18 एएनआईसी-एआरआईएसइ नवाचारों को सहायता अनुदान की पहली किश्त दी गई हैऔर 6 नवाचारों कीसम्यक तत्परता प्रक्रिया चल रही है।			

				एसीआईसी की शुरुआत और 50 एसीआईसी की स्थापना	25 एसीआईसी को सहायता अनुदान के साथ समर्थन प्रदान करना।	25 एसीआईसी को सहायता अनुदान के साथ समर्थन प्रदान करना	12 एसीआईसी को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। दूसरे समूह का चयन प्रक्रियाधीन है।	आवेदकों के अनुपालन और सम्यक तत्परता की प्रक्रिया चल रही है। 8 एसीआईसीआवेदकों को सहायता अनुदानसमर्थन प्रदान किया गया है।11 आवेदकों की सम्यक तत्परता की प्रक्रिया चल रही है।	आवेदकों का अनुपालन और सम्यक तत्परता की प्रक्रा चल रही है। 4 एसीआईसीआवेदकों को सहायता अनुदानसमर्थन प्रदान किया गया है। 7 आवेदकों की सम्यक तत्परता की प्रक्रिया चल रही है।लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नए आवेदकों का चयन करने के लिए एसएससी बैठक आयोजित की जा रही है	50 एसीआईसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 38 एसीआईसी को सहायता अनुदान प्रदान किया जाना है।लक्ष्य को पूरा करने के लिएसम्यक तत्परता की प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया चल रही है।		

योजना मंत्रालय | मांग संख्या 77

1. स्वरोज़गार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) (सीएस) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)

वित्तीय परिव्यय करोड़) रुपए (में	निष्पादन 2022-23			परिणाम 2022-23		
2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23
	क(एआईसी) अटल इंक्यूबेशन केंद्र .					
155.31	1. नवाचार और उद्यमिता के लिए प्लैटफार्म का निर्माण	1. स्थापित किए गए अटल इंक्यूवेशन केंद्रों की संख्या	8	1. भारत में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना	1. इनक्यूबेट किए गए स्टार्ट अप्स की संख्या- (वास्तविक और वर्चुअल)	500
		2. एआईएम इंक्यूबेटरों द्वारा प्रदान किए गए इंक्यूबेटरस्टार्ट / अप विशिष्टता सत्रों की संख्या	350		2. एआईएम स्टार्टअप्स के द्वारा सृजित - (अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष) नौकरियों की संख्या	2500
		3. एआईसी द्वारा शुरू की गई मूल्य वर्धन करने वाली साझेदारियों की संख्या	60		3. एआईएम इंक्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्ट-) अप्स के लिए बाहर से ली गई निधिx एआईएम अनुदान के माध्यम से प्राप्त सीड फंडिंग की राशि है(	8x

वित्तीय परिव्यय करोड़) रुपए (में	निष्पादन 2022-23			परिणाम 2022-23		
2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23
		4. एआईसी में मेंटरों की संख्या	120		4. एआईसी इंक्यूबेटी द्वारा फाइल की गई बौद्धिक संपदाओं की संख्या (आईपी)	60
	2. **अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल)**					
	1. नवाचार और उद्यमिता के लिए प्लैटफार्म का निर्माण करना	1. स्थापित किए जाने वाले एटीएल की संख्या	500	1. भारत में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति और इकोसिस्टम को बढ़ावा देना	1. एटीएल नवाचार परियोजनाओं में कार्यरत छात्रों की संख्या	30000
		2. एटीएल में कार्यरत स्कूल कर्मचारियों / अध्यापकों की कुल स्कूलों) संख्या (में	3000		2. तैयार किए गए एटीएल छात्र प्रोटोटाइप नवाचारों की संख्या	3000
		3. शुरू की गई एटीएल नवाचार चुनौतियों की संख्या	5		3. एसआईपीसाझेदारी मान्यता /एसईपी/ कार्यक्रमों के माध्यम से मान्यता प्रदान किए गए छात्रों की संख्या	300
	ग(एएनआईसी) अटल नव भारत चुनौती .					

वित्तीय परिव्यय करोड़) रुपए (में	निष्पादन 2022-23			परिणाम 2022-23		
2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23
	1. अटल नव भारत चुनौती	1. मंत्रालयों के साथ शुरू की गईं एएनआईसी चुनौतियों की सं.	25	1. भारत के संदर्भ में संगत अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित उत्पाद	1. चुनौतियों के माध्यम से प्राप्त नवाचार प्रविष्टियों की सं	500
		2. भागीदारों के साथ शुरू की गई नवाचार चुनौतियों की सं /अंतर्राष्ट्रीय/निजी). (अन्य	5			
		3. केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर संभावित नेताओं से जुड़े एएनआईसी विजेताओं की संख्या	8		2. एएनआईसी द्वारा नए सृजित नवाचार की सं.	40
					3. सरकार और निजी क्षेत्र के निवेशकों से जुड़े एएनआईसी विजेताओं की संख्या	3
	घअटल सामुदायिक नवाचार केंद्र.					
	1. अटल	1. सहायता प्राप्त	15	1. अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों के	.1 इनक्यूबेट किए गए एसीआईसी स्टार्टअप्स की -	250

वित्तीय परिव्यय करोड़) रुपए (में	निष्पादन 2022-23			परिणाम 2022-23		
2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23
	सामुदायिक नवाचार केंद्र	अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की संख्या		माध्यम से समावेशी नवाचार की संस्कृति का सृजन करना	वास्तविक और) संख्या वर्चुअल(	
		2. एसीआईसी द्वारा आयोजित नवाचार ज्ञान साझाकरण सत्रों की संख्या	125		1.2 एसीआईसी द्वारा सृजित स्थानीय सामुदायिक नौकरियों की संख्या	750
					1.3 एसीआईसी इंक्यूबेट द्वारा फाइल की गई बौद्धिक संपदाओं की संख्या (आईपी)	50
	ङअटल नवाचार मिशन .					
	1. देश के नवाचार इकोसिस्टम कीदेख-रेख करने	1. आईएएम के साथ परिवर्तन के लिए नामांकित स्वयंसेवकों मेंटरों की / संख्या	500	1. एआईएम द्वारा सृजित नवाचार इकोसिस्टम का सृजन करना	1. मेंटर्स द्वारा आयोजित सत्रों की संख्या	500
		2. मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग और सलाह	5		2. एआईएम द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण सत्रों की संख्या ताकि मंत्रालयों में नवाचारों का संचालन किया जा सके।	5

वित्तीय परिव्यय करोड़) रुपए (में	निष्पादन 2022-23			परिणाम 2022-23		
2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23
	के लिए अंब्रेला संरचना का सृजन करना	3. सृजित स्थानिक नवाचार कार्य बलकी संख्या	22		3. स्थानिक कार्य बल द्वारा ज्ञान साझाकरनसत्रों के लाभार्थियों की संख्या	500
	2. देश के नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम में कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु	1. इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों को जोड़ने के लिए जारीशुरु किए/ गए कार्यक्रमों की संख्या :उदाहरण) एआईएम आईलीप, एआईएम प्राइम,	3	1. विविध मंचों के जरिए स्टार्टअप्स-, निवेशक, कॉरपोरेट, इनोवेटर, शैक्षणिक समुदाय, इनेबलर्स को राष्ट्रीय इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों से जोड़ना। 2. समाधान प्रदाताओं स्टार्ट/छात्र) द्वारा समाधान की (उद्यमित/अप्स मांग करने वालों एमएस/कॉरपोरेट/निवेशकों)एमई को (अलाभकारी संस्थाओं आदि/ नवाचार समाधान को सुगम बनाना 3. प्रदर्शित किए गए नवाचार समाधानों	1. विभिन्न हितधारकों के बीच स्थापित किए गए संबंधों की संख्या	100
					2. राष्ट्रीयप्रदान किए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर/ गए नवाचार समाधानों की संख्या	30

वित्तीय परिव्यय करोड़) रुपए (में	निष्पादन 2022-23			परिणाम 2022-23		
2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2022-23
	युक्तिपूर्ण कार्यक्रम और साझेदारी अर्थात्) कार्यक्रम एआईएम लाभार्थियों तथा दूसरों के लिए (जारी है	एआईएम आईसीडीके चैलेंज इत्यादि(		के साथ समाधान (प्रौद्योगिकी/उत्पाद) संभावित) की मांग करने वालों देन को सुगम -के बीच लेन (खरीदार उदाहरण) बनाना– पीओसी, वाणिज्यिक आदेश,प्रायोगिक कार्यान्वयन आदि(		
		2. नकली चल रहे और नई साझेदारी	40	4. भागीदारों के माध्यम से एआईएम और उसके लाभार्थियों को अनुकूल मूल्य प्रदान करना	3. समाधान प्रदाताओं (अप्स-स्टार्ट/छात्र) और समाधान की माँग करने वालों अला/एमएसएमई/कॉरपोरेट/निवेशकों/सरकारी) -के बीच सुविधाजनक लेन (भकारी संस्थाओं आदि देन की संख्या	8
					4. भागीदारों के माध्यम से क्षमता विकास, विकसित ज्ञान मॉड्यूल, विशिष्ट मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच के माध्यम से लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	50

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22)की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 14 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री मनोज कोटक
8. श्री रवि शंकर प्रसाद
9. श्री गोपाल शेट्टी
10. श्री मनीष तिवारी
11. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

12. श्री सुशील कुमार मोदी
13. श्री ए. नवनीतकृष्णन
14. श्री प्रफुल्ल पटेल
15. डॉ. अमर पटनायक
16. श्री महेश पोद्दार
17. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार किया:-

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह चालीसवां प्रतिवेदन

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह इकतालीसवां प्रतिवेदन

(तीन) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह बयालीसवाँ प्रतिवेदन

(चार) योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह तैंतालीसवां प्रतिवेदन

(पांच) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह चवालीसवां प्रतिवेदन

3. समिति ने कुछ चर्चा के पश्चात् अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में चालीस से चवालीस प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सभा में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया। समिति ने 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021' पर प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करना स्थगित कर दिया, क्योंकि सदस्यों ने विधेयक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए कुछ और समय मांगा।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।